न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04 / 2021

लालाराम पुत्र श्री उगमाराम जाति गुर्जर निवासी देवपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर

(निगरानीकार)

बनाम

1. सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. आम जनता देवपुरा, ग्राम पंचायत सिरोहीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

(रेस्पोडेन्टस)

अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.02.2021 ग्राम पचांयत सिरोहीकलां

1. श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी विद्वान अधिवक्ता, निगरानीकार।
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

निर्णय

दिनांक :– 20.05.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सिरोहीकलां द्वारा प्रार्थी का मौरूशी मुस्तर्का पुश्तैनी जमाना जागीर के समय से ही आबादी भूमि की बसावट के समय से ही प्रार्थी के बुजूर्गो के खाम मकान व बाडा बनाकर ग्राम देवपुरा, ग्राम पंचायत सिरोहीकलां, तहसील दूदू जयपुर में स्थित है जिसकी सीमाये व पैमाईश निम्न प्रकार से है:– पूर्व दिशा में –प्रार्थी का बाडा पश्चात आम रास्ता, पश्चिम दिशा में – आम रास्ता, उत्तर दिशा में– भंवरलाल गुर्जर के बाडे व दक्षिण में प्रार्थी के भाई भैरूराम का मकान पैमाईश संलग्न नक्शानुसार है। चारदीवारी खाम मय बाड लगाकर चली आ रही थी जिसको कालांतर में पुख्ता निर्माण कर आज से काफी वर्षो पहले बना लिया गया है किन्तु अब भैस, चारा डालकर स्वयं की पीढियों से निवास करता हुआ आ रहा है जब से गांव देवपुरा की बसावट हुयी है उसी समय से ग्राम देवपुरा के निवासी है। प्रार्थी का पुश्तैनी खाम मकान के स्थान पर वर्तमान में पुख्ता मकान बना रखा है और पुश्तैनी मकान व बाडा है जिसका प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त नहीं कर रखा है लगाातार काबिज एवं उपयोग में बिना किसी रूकावट के व्यवधान के काबिज है। विडंबना यह रही कि प्रार्थी के विरोधी ही आज तक ग्राम पंचायत में सरपंच रहे इसलिए पट्टे हेतु प्रार्थना नहीं की गयी। वर्तमान में ग्राम पंचायत भी प्रार्थी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

जनैतिक विरोधी है। प्रार्थी का परिवार ग्रामीण परिवेश का गरीब परिवार है अनपढ़ व्यक्ति है, जनैतिक पहुँच नहीं है एवं न ही आर्थिक रूप से सम्पन्न ही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला परिवार होने के कारण सरकारी लाभ आज तक प्राप्त नहीं कर सका योंकि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के पास पैरा संख्या 1 में वर्णित मकान व बाडा के अलावा ग्राम देवपुरा एवं अन्यत्र कही पर कोई मकान व भूखण्ड नहीं है एवं न ही किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण ही किया है मौके पर प्रार्थी के मकान मौजूद है फिर भी ग्राम पंचायत सिरोहीकलां ने मनमाना निर्णय कर जाहिर किया है कि मौजूदा मकान के स्थान पर पहले रास्ता रहा है जो कतई राजनैतिक दुर्भावना से पारित निर्णय है जो निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर दिनांक 08.01.2021 को एक नोटिस भिजवाया जिसमें शिकायत ग्रमवासी देवपुरा दर्ज कराना बताया था जबकि वास्तविक रूप से स्वयं ग्राम पंचायत सिरोहीकलां अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं के द्वारा ही स्वतः ग्राम देवपुरा को आधार बनकार नोटिस दिया गया है जो कानून से परे था। उक्त नोटिस में दर्ज किया है कि मौका निरीक्षण किया और जाहिर किया कि रास्ते पर पुख्ता दीवार बनाकर पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जबकि उक्त मौका कब व किसकी उपस्थिति में देखा दर्ज नहीं किया प्रार्थी ने नोटिस का जवाब दिया है। अप्रार्थी द्वारा अपने पंचों को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 20.01.2021 को प्रस्ताव लिया गया और मुताबिक पंचगण प्रार्थी के मकान पर पहुँच कर उपस्थित मौतबिरान के बयान लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की जाहिर था कि मौके पर कोई आमा रास्ता नहीं था और न ही कभी आज तक रहा है और न ही शिकायतकर्ता द्वारा जाहिर किया गया कि उक्त रास्ता किस बाबत था कहां से कहां तक कितना लम्बा, कितना चौडा रहा है अपनके निर्णय में अतिक्रमण का स्थान चिन्हित नहीं किया गया है। प्रार्थी का मकान व कब्जा पुश्तैनी मानते हुए मौका रिपोर्ट प्रार्थी को दे दी गयी। मौका रिपोर्ट तो अपीलार्थी के निवेदन पर मंगवायी गयी थी वरना बिना किसी रिपोर्ट पर ही उसी दिन जबरन प्रार्थी के मकान को हटाने पर अडे हुये थें। प्रार्थी की कोई साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना मौका रिर्पोट को भी स्वीकार नहीं करते हुये मनमाना निर्णय पारित कर दिया और तत्काल 03 दिवस में अतिक्रमण हटवाने का नोटिस दिनांक 05.02.2021 को दे दिया गया जबकि प्रार्थी को सुना नहीं गया। अप्रार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2021 बहुमत बनाकर निर्णय दिया गया है वास्तविक तथ्यों या साक्ष्य के आधार पर या किन–किन गवाहों की साक्ष्यों को सही मानकर दिया गया निर्णय नहीं है। मौके की कार्यवाही से पूर्व आम रास्ता स्थित होने की ग्राम पंचायत के पास कौनसी साक्ष्य रही है बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बिना किसी ठोस मौखिक साक्ष्य के बिना किसी पटवारी, सचिव, ग्राम प्रतिहारी की रिर्पोट प्राप्त किये आनन फानन में किया गया निर्णय होने से मौका सूरत के विपरीत होने से ग्राम पंचायत सिरोहीकलां का निर्णय निरस्तनीय है। अप्रार्थी द्वारा गठित मौका रिपोर्ट कमेटी ने दिनांक 27.01.2021 को मौका स्थल का निरीक्षण कर मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं मानते हुये अपने द्वारा लिये गये साक्ष्य से स्वीकार किया उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। अतिक्रमण होना मौके पर नहीं पाया और स्वयं सरपंच द्वारा बिना मौका पर पहुँचे बिना मौका देखे अपने को अन्य पंचगण जो कि मौका रिपोर्ट में शामिल ही नहीं रहे फिर भी उनको निर्णय में शामिल करते हुये राजनैतिक द्वेषता से निर्णय पारित किया है जो कॉनेक्टरी आफ लॉ है एवं अवैध है ऐसे निर्णय को सरासरी तौर पर ही निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर ग्राम पचायत सिरोहीकलां के निर्णय दिनांक 05.02.2021 को नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत एवं मौका रिर्पोट के विपरीत होने से आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्टस की तलबी जारी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

वकील रेस्पोडेंट 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी लालाराम जो कि अतिक्रमी है जब उसने आम रास्ते पर अतीक्रमण किया तो ग्रम पंचायत ने अपने निर्णय से उक्त अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण के अपराध को नियमित करवाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया है धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त निगरानी संधारणीय ही नहीं है जो आदेश प्रसारित किया है उसक विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की ही नहीं जा सकती है। पंचायत द्वारा अतिक्रमण को हटाने को पुलिस व प्रशासन को भी लिखा है परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण अतिक्रमण नहीं हट सका। जिस आम रास्ते का विवाद है उक्त जगह का पट्टा निगरानीकर्ता के पास नहीं है तथा न ही पट्टे संबंधित पत्रावली लंबित है निगरानीकर्ता के पास किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है। अतिक्रमी किसी भी तरह से राहत पाने का अधिकारी नहीं है यदि राहत दे दी गई तो अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हो जायेंगे जो कि प्रशासन के लिए सर्वथा अनुचित है उक्त रास्ते बाबत् सी सी रोड/ब्लॉक रोड राज्य सरकार ने स्वीकृत की थी। अतः निगरानी व स्थगन निरस्त फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी ने बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी खाम मकान के स्थान पर वर्तमान में पुख्ता मकान बना रखा है और पुश्तैनी मकान व बाडा है जिसका प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त नहीं कर रखा है लगाातार काबिज एवं उपयोग में बिना किसी रूकावट के व्यवधान के काबिज है। विडंबना यह रही कि प्रार्थी के विरोधी ही आज तक ग्राम पंचायत में सरपंच रहे इसलिए पट्टे हेतु प्रार्थना नहीं की गयी। अप्रार्थी द्वारा गठित मौका रिपोर्ट कमेटी ने दिनांक 27.01.2021 को मौका स्थल का निरीक्षण कर मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं मानते हुये अपने द्वारा लिये गये साक्ष्य से स्वीकार किया उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। अतिक्रमण होना मौके पर नहीं पाया और स्वयं सरपंच द्वारा बिना मौका पर पहुँचे बिना मौका देखे अपने को अन्य पंचगण जो कि मौका रिपोर्ट में शामिल ही नहीं रहे फिर भी उनको निर्णय में शामिल करते हुये राजनैतिक द्वेषता से निर्णय पारित किया है जो कॉनेक्टरी ऑफ लॉ है एवं अवैध है ऐसे निर्णय को सरासरी तौर पर ही निरस्त किया जाना न्यायोचित है। श्मशान जाने के रास्ते में अतिक्रमण की कोई शिकायत नहीं की गई है। धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त निगरानी संधारणीय है। अतः ग्राम पचायत सिरोहीकलां के निर्णय दिनांक 05.02.2021 को नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत एवं मौका रिर्पोट के विपरीत होने से आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण हेतु पंच कमीशन का गठन किया गया। पंच कमीशन में उक्त निर्णय के पक्ष–विपक्ष में बराबर सदस्य होने पर सरपंच द्वारा किये गये निर्णय को मानकर लालाराम पुत्र उगमाराम गुर्जर को अतिक्रमी माना है। जबकि पंच कमीशन में पक्ष–विपक्ष में बराबर सदस्य रहे है अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निगरानीधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021, ग्राम पचांयत सिरोहीकलां, तहसील दूदू निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत सिरोहीकलां को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर कानूनी प्रकियां

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

ुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ यालय ग्राम पंचायत सिरोहीकलां को पालनार्थ प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का न रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
दूदू